

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-4/अ0प्र0-1-24/2020
प्रेषक,

21/22

/पटना, दिनांक 28/4/22

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

विषय:-बिहार अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के पदाधिकारियों एवं बिहार अवर अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के कनीय अभियंताओं का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) आलेखन के संबंध में।

प्रसंग:-

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के पदाधिकारियों एवं बिहार अवर अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के कनीय अभियंताओं के लिए SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के अन्तर्गत पी0ए0आर0 ई-फाईलिंग (PAR e-filling) हेतु शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए निम्नरूपेण कार्रवाई की जायेगी:-

- (i) बिहार अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों एवं बिहार अवर अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के कनीय अभियंताओं का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) स्वीकरण प्राधिकार के स्तर से आलेखित होने के उपरांत पूर्ण पी0ए0आर0 को विभाग के स्तर से प्रतिवेदित पदाधिकारी को उनसे मंतव्य प्राप्त करने के निमित्त 15 दिनों के अन्दर Disclose (प्रकट) किया जायेगा। प्रतिवेदित पदाधिकारी पी0ए0आर0 Disclose होने के 15 दिनों के अन्दर अपने मंतव्य से विभाग को अवगत करायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत मंतव्य अप्राप्त रहने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि प्रतिवेदित पदाधिकारी पी0ए0आर0 में अंकित अभ्युक्ति से सहमत है तथा पी0ए0आर0 को पूर्ण मानते हुए इसे अभिलेख स्वरूप संधारित कर दिया जायेगा।
- (ii) पी0ए0आर0 में अंकित अभ्युक्ति से असहमति की स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी निर्धारित समय-सीमा 15 दिनों के अन्दर अभ्यावेदन (Representation) विभाग को समर्पित करेंगे। प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर एक माह के अन्दर विभाग द्वारा प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार से मंतव्य प्राप्त कर अभ्यावेदन पर लिये गये निर्णय से प्रतिवेदित पदाधिकारी को अवगत करा दिया जायेगा।
- (iii) अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा लिये गये निर्णय से असहमति की स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन Referral Board के समक्ष समर्पित कर सकेंगे अन्यथा यह समझा जायेगा कि प्रतिवेदित पदाधिकारी विभागीय निर्णय से सहमत हैं।

उपर्युक्त सभी में रेफरल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।



(iv) विभिन्न स्तरों पर पी0ए0आर0 आलेखन की कार्रवाई किये जाने हेतु निम्नांकित निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत अभ्युक्ति आलेखित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा पी0ए0आर0 अगले प्राधिकार को Force Forward कर दिया जायेगा:-

- (a) Personal Details and Self Appraisal - 31 May
- (b) Appraisal by Reporting officer - 30 September
- (c) Remarks by Reviewing officer - 31 October
- (d) Remarks/Comment by Accepting Officer- 31 December

प्रतिवेदित पदाधिकारी के स्थानान्तरण की स्थिति में उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा (माह/अवधि) तक ही अभ्युक्ति आलेखित प्रक्रिया अनुमान्य होगी।

(v) बिहार अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के पदाधिकारियों एवं बिहार अवर अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के कनीय अभियंताओं का निम्नांकित परिस्थितियों में भी पी0ए0आर0 Generate होगा जिसमें स्थिति के अनुसार निम्नांकित आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(a) एन0आर0सी0 (No Report Certificate):-

—पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

—निलंबन अवधि

—पी0ए0आर0 आलेखन हेतु निर्धारित न्यूनतम 90 दिन से कम की अवधि।

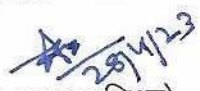
(b) प्रशिक्षण अवधि।

(c) छुट्टी।

(vi) SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के तहत पी0ए0आर0 ई-फाइलिंग (PAR e-filling) की प्रक्रिया पी0ए0आर0 वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से लागू किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देश से अपने अधीनस्थ कार्यरत बिहार अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के पदाधिकारियों एवं बिहार अवर अभियंत्रण सेवा (ग्रामीण कार्य विभाग) के कनीय अभियंताओं को अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन

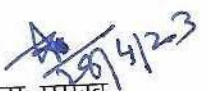

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-4/अ0प्र0-1-24/2020

21/72

पटना, दिनांक:- 28/4/23

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, के आप्त सचिव, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-4/अ0प्र0-1-24/2020

21/72

पटना, दिनांक:- 28/4/23

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/सभी नोडल पदाधिकारी/प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-4/अ0प्र0-1-24/2020

2172

पटना, दिनांक:- 28/11/23

प्रतिलिपि:- उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना/ मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों से अपने अधीनस्थ: कार्यरत बिहार अभियंत्रण सेवा (ग्रा0का0वि0) के पदाधिकारियों एवं बिहार अवर अभियंत्रण सेवा (ग्रा0का0वि0) के कनीय अभियंताओं को अवगत करा दिया जाय।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-4/अ0प्र0-1-24/2020

2172

पटना, दिनांक:- 28/11/23

प्रतिलिपि:- तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक-ई, एन0आई0सी0, मुख्य सचिव का कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-4/अ0प्र0-1-24/2020

2172

पटना, दिनांक:- 28/11/23

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईमेल

अभियंता प्रमुख